पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

ABRSM

केन्द्रीय कार्यालयः शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष एवं फेक्स : 011-22914799, 9868711893, 9414040403

E-mail : abrsmdelhi@rediffmail.com, abrsmdelhi@gmail.com, Website: www.abrsm.in

संरक्षक - प्रो. के. नरहरि (080) 23324503, 23325743, 9880595357

अध्यक्ष	महामंत्री	अति. महामंत्री	संगठन मंत्री	सह संगठन मंत्री
डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल	प्रो. जगदीश प्रसाद सिंघल	प्रो.के. बालकृष्ण भट्ट	महेन्द्र कपूर	ओमपाल सिंह
(0141) 2785393, 9414023964	(0141) 2503159, 9414068780	(0824) 2476141, 9448503090	9868711893, 9414040403	(0522) 2238794, 9415121329

उपाध्यक्ष

डॉ. निर्मला यादव (उ.प्र.)
9412169506

गोविन्द तिवारी (उ.प्र.)
(05672) 234746, 9412407623

बाबा साहब काले (महाराष्ट्र)
(0217) 2316382, 9822433929

डा. रमेश चन्द्र सिन्हा (बिहार)
9334306254

सचिव

श्रीमती प्रियम्वदा सक्सैना (महाराष्ट्र)
9373302551

जगदीश सिंह चौहान (दिल्ली)
9873190826

तड़वर्त्ती सुब्बाराव (आन्ध्रप्रदेश)
(0866) 2519550, 9440636331

डा. नारायण मोहन्ती (ओडीशा)
(0671) 2603340, 9437056977

संयुक्त सचिव

श्रीमती आर. सीतालक्ष्मी (कर्नाटक)
(080) 23466495, 9986832449

हिम्मत सिंह जैन (म.प्र.)
(07420) 255591, 9425973461

डॉ. अशोक कुमार सिंह (झारखण्ड)
(0657) 2363028, 9431750251

डॉ. श्याम पुण्डे (महाराष्ट्र)
(0712) 2702711, 9423407328

कोषाध्यक्ष

बजरंग प्रसाद मजेजी (राजस्थान)
9460894708

आंतरिक अंकेक्षक

गोविन्द गणेश देव (गोवा)
(0832) 2313096, 9764617594

उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी

महेन्द्र कुमार (उ.प्र.)
9415201262

प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख

प्रो. संन्तोष पाण्डेय (राजस्थान)
(0141) 2620768, 9413330627

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख

एच. नागभूषण राव (कर्नाटक)
(080) 23466495, 9482014280

मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख

डा. विनोद बनर्जी (उ.प्र.)
(0565) 2443244, 9639841822

पत्रांक: 277/ 2014 दिनांक: 10.10.2014

माननीय अध्यक्ष
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली

विषय : उच्च शिक्षा के शिक्षकों की समस्याओं के समुचित समाधान के लिए आग्रह।

मान्यवर महोदय,

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पूर्व प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के सम्पूर्ण राष्ट्र के शिक्षकों का राष्ट्रीयता एवं भारतीय जीवन धारा से ओत-प्रोत संगठन है जिसका विधिवत् प्रारम्भ वर्ष 1988 में हुआ। यह अन्य शिक्षक संगठनों से भिन्न संगठन है जो राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक एवं शिक्षक के हित में समाज की दृष्टि से कार्य करता है। 23 राज्यों के 35 राज्यस्तरीय संगठन एवं अनेक विश्वविद्यालय संगठन महासंघ से सम्बद्ध हैं।

पिछले वर्षों में देश की शिक्षा व्यवस्था में भारी परिवर्तन हुए हैं, परन्तु महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की शिक्षा एवं शिक्षक आज भी अनेक मूलभूत समस्याओं से त्रस्त हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आपसे संलग्न मांग पत्र पर सकारात्मक रूप से विचार कर इनके अविलम्ब समाधान करने का आग्रह करता है।

सादर

संलग्न : मांग पत्र

भवदीय

(जगदीश प्रसाद सिंघल)
महामंत्री

पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

ABRSM

सा विद्या या विमुक्तये

केन्द्रीय कार्यालयः शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष एवं फेक्स : 011-22914799, 9868711893, 9414040403

E-mail : abrsmdelhi@rediffmail.com, abrsmdelhi@gmail.com, Website: www.abrsm.in

संरक्षक - प्रो. के. नरहरि (080) 23324503, 23325743, 9880595357

अध्यक्ष
डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल
(0141) 2785393, 9414023964

महामंत्री
प्रो. जगदीश प्रसाद सिंघल
(0141) 2503159, 9414068780

अति. महामंत्री
प्रो.के. बालकृष्ण भट्ट
(0824) 2476141, 9448503090

संगठन मंत्री
महेन्द्र कपूर
9868711893, 9414040403

सह संगठन मंत्री
ओमपाल सिंह
(0522) 2238794, 9415121329

उपाध्यक्ष

डॉ. निर्मला यादव (उ.प्र.)
9412169506

गोविन्द तिवारी (उ.प्र.)
(05672) 234746, 9412407623

बाबा साहब काले (महाराष्ट्र)
(0217) 2316382, 9822433929

डा. रमेश चन्द्र सिन्हा (बिहार)
9334306254

सचिव

श्रीमती प्रियम्वदा सक्सैना (महाराष्ट्र)
9373302551

जगदीश सिंह चौहान (दिल्ली)
9873190826

तड़वर्त्ती सुब्बाराव (आन्ध्रप्रदेश)
(0866) 2519550, 9440636331

डा. नारायण मोहन्ती (ओडीशा)
(0671) 2603340, 9437056977

संयुक्त सचिव

श्रीमती आर. सीतालक्ष्मी (कर्नाटक)
(080) 23466495, 9986832449

हिम्मत सिंह जैन (म.प्र.)
(07420) 255591, 9425973461

डॉ. अशोक कुमार सिंह (झारखण्ड)
(0657) 2363028, 9431750251

डॉ. श्याम पुण्डे (महाराष्ट्र)
(0712) 2702711, 9423407328

कोषाध्यक्ष

बजरंग प्रसाद मजेजी (राजस्थान)
9460894708

आंतरिक अंकेक्षक

गोविन्द गणेश देव (गोवा)
(0832) 2313096, 9764617594

उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी

महेन्द्र कुमार (उ.प्र.)
9415201262

प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख

प्रो. संन्तोष पाण्डेय (राजस्थान)
(0141) 2620768, 9413330627

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख

एच. नागभूषण राव (कर्नाटक)
(080) 23466495, 9482014280

मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख

डा. विनोद बनर्जी (उ.प्र.)
(0565) 2443244, 9639841822

पत्रांक :

दिनांक : 10.10.2014

उच्च शिक्षा संवर्ग- मांग पत्र

1. राष्ट्रीय अस्मिता, भारतीय जीवन मूल्यों, मानव एवं चरित्र निर्माण, सामाजिक सरोकार, मौलिक चिन्तन, शोध एवं नवाचार से युक्त सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति की पुन:संरचना की जाये।
2. शिक्षा व्यवस्था के नियोजन, नियमन एवं नियन्त्रण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शिक्षाविदों से युक्त स्वतन्त्र एवं स्वायत्त नियामक शिक्षा आयोग का निर्माण हो।
3. सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 10 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा राज्य अपने बजट का 30 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय सुनिश्चित करे ताकि समुचित संख्या में शिक्षक एवं अन्य आधारभूत सुविधाएँ जैसे पुस्तकें, भवन, खेल के मैदान, प्रयोगशालाएँ आदि उपलब्ध हो सकें।
4. सम्पूर्ण देश में शिक्षा की स्वायत्तता को बहाल किया जाये एवं शिक्षा सम्बन्धी सभी निर्णयों में शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप बंद हो।
5. देश के सभी महाविद्यालयों में विभिन्न शिक्षक पदों का नामकरण एक समान यू.जी.सी. की अनुशंसा के अनुरूप सहायक प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के रूप में किया जाये।
6. अनुदानित महाविद्यालयों में शिक्षकों को वेतन भुगतान की कोषागार भुगतान व्यवस्था हो।
7. शिक्षा के बाजारीकरण पर नियन्त्रण सुनिश्चित हो।
8. सम्पूर्ण देश में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान 65 वर्ष की जाय।
9. 1 जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में बहाल की जाये।
10. सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को समुचित चिकित्सा सुविधा के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा प्रदत्त की जाये एवं उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो।
11. संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, अंशकालिक शिक्षक, आदि नामों से कार्य करने वाले प्राध्यापकों को न्यूनतम वेतन एवं सेवाशर्तों का अविलम्ब निर्धारण कर उनका पालन सुनिश्चित किया जाये।
12. पीएच.डी. 2009 नियमों के लागू होने के पूर्व पीएच.डी. हेतु पंजीकरण कराने वाले एवं पी.एच.डी. धारकों को नवीन नियमों की शर्तों से मुक्त रखा जाये।
13. छ: माह के पीएच.डी. कोर्स वर्क से कार्यरत शिक्षकों को छूट दी जाये अथवा उन्हें इस अवधि का सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाये।
14. शोध के प्रोत्साहन के लिए पूर्व में दी जाने वाली अतिरिक्त वेतन वृद्धि योजना को सम्पूर्ण देश में समान रूप से लागू किया जाये।
15. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति तथा कैरियर एडवान्समैन्ट स्कीम के सम्बन्ध में ए.पी.आई. की शर्तों को तर्कसंगत एवं व्यावहारिक बनाया जाये।

भवदीय

प्रो. नारायण मोहन्ती

सचिव-उच्च शिक्षा संवर्ग